

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 524 / 2025

1. राम नारायण पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी
2. रवि शंकर पुत्र भरत लाल जिला हनुमानगढ।

वादीगण


1. भरत लाल पि0 मनीराम जाति जाट निवासीयान मेहरवाला तहसील टिब्बी
2. रघुवीर जिला हनुमानगढ।
3. रूकमा पुत्री मनीराम पत्नी मिठूराम जाति जाट निवासी सलेमगढ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. अनकौरी पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. मनोज कुमार पुत्र भरत लाल जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

6. कौशल्या पुत्री रघुवीर पत्नी सुधीर जाति जाट निवासी फतेहगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं0 13 एस. एल. डबल्यू के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/85 में कुल 1.024 है0 कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 रामनारायण 1/3 हिस्सा व शेष 2/3 हिस्सा के वादी संख्या 2 रवि शंकर व प्रतिवादी स0 5 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं0 13 एस. एल. डबल्यू के खाता सं0 76/85 में से मनीराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।